न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनीयॉ आर.ए.एस

अपील सं0 2011/00177 (243/2011)

जगदीश पुत्र हरिराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

– अपीलान्ट

बनाम

1. मोडुराम पुत्र रूधनाथ जाति महाजन चाचाण निवासी वार्ड नंबर 25 नोहर, तहसील नोहर।

–असल रेस्पो0/वादीगण

2. चन्दों बेवा भजन लाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर

3. सोहनलाल
4. भूपसिंह
5. गोपीराम
6. रामजीलाल

पिसरान भजनलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।

7. विद्या
8. कमला
9. पम्पा

पुत्रियां भजनलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।

10. संतो बेवा हरिराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
11. ओमप्रकाश पिसरान हरिराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।

12. महावीर
13. सुन्दर
14. गुड्डी
15. बादो

पुत्र/पुत्रियान हरिराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।

16. बनवारी पुत्र गणेशराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
17. गोगा देवी बेवा मुखराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।

18. केहरसिंह
19. कुलदीप

पि0 मुखराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।

20. कुन्ता पुत्री मुखराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।

21. जयलाल
22. रामकुमार
23. पूर्ण
24. इन्द्राज
25. उदमीराम

पुत्र चन्दों जोजा फुसाराम जाति जाट गोदारा निवासी फेफणा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

26. विद्या
27. कुन्ता

पुत्रीयान चन्दों जोजा फुसाराम जाति जाट गोदारा निवासी फेफणा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Karrar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:30:03 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

28. मंगतुराम
29. भूपसिंह
30. टिकुराम
31. सतपाल
32. मनफूल
33. ओमप्रकाश

पि0 सिन्गारी जोजा मुरली जाति जाट जाखड़ निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

34. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर, तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– रेस्पोडैन्टस

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.09.2011 द्वारा उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर, प्रकरण संख्या 266/2007 बअनवानी जगदीश बनाम मोडूराम आदि

श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता अपीलाण्ट की ओर से ।

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रस्पोडैन्ट सं0 1 की ओर से

श्री राजेश कौशिक राजकीय अधिवक्ता

<u>निर्णय</u> दिनांक – 07.07.2021

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलाण्ट/वादी ने एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 एवं 188 के अन्तर्गत पेश किया। वादपत्र में कथन किया कि गणेशाराम पुत्र डालुराम के नाम आराजी जरई प0 नं0 315/379 मु0 नं0 62 के किला नं. 1 ता 25 की 25 बीघा, यानी 6.325 है0 वाके रोही चक 14 के0एन0एन0 तहसील नोहर में थी, जिसमें उसके सात वारिस 1/7 हिस्सा के ब0हि0ब0 1/7 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार हुए। उपरोक्त विवादित भूमि मे 25 किला मे 500 हिस्से बनते हैं। 7 हिस्सेदारों के प्रत्येक का 71–3/7 हिस्से बनता है मगर सात हिस्सेदारों में से गणेशाराम के एक लड़के श्योदत ने अपने हिस्से की बजाय 100 हिस्सा भूमि बिना इन्तकाल दर्ज करवाये प्रतिवादी नं0 1 को जरिये रजिस्टर्ड बेयनामा फरोक्त कर दी ये बैयनामा हक से ज्यादा यानी 28–4/7 हिस्सा तक शुन्य है। प्रतिवादी नं0 1 केवल 71–3/7 हिस्सा का मुश्तरका खातेदार काश्तकार है। जमाबंदी में प्रतिवादी नं0 1 के 100 हिस्से दर्ज । वादी ने वाद पत्र में वर्णित हिस्सानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार घोषित करने एवं प्रतिवादी सं0 1 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने एवं जमाबंदी दुरूस्त करने प्रतिवादी नं. 1 विवादित भूमि में 100 हिस्सा की बजाय 71–3/7 यानी 1/7 हिस्सा का मुश्तरका [illegible] काश्तकार दर्ज करने का अनुतोष मांगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:30:03 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रतिवादी सं0 1 ने जवाब दावा [illegible] म के फौत होने के बाद गणेशाराम की दोनो पुत्रियां चन्दो और सिंगारी अपने भाईयों यानि गणेशाराम के पांचों लड़कों के पक्ष में त्याग करने से उसके भाईयों के पक्ष में दस्तबरदारी हो गई थी इस कारण पांचों

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

भाईयों को ब0हि0ब0 मिली। श्योदत ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा को प्रतिवादी को जरिये रजि0 बैयनामा के फरोख्त कर दिया जा कतई सही है। रजिस्टर्ड बैयनामा को खारिज नहीं किया गया है। वादी ने मियाद बाहर वाद पेश किया है। वाद खारिज करने का कथन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने वादपत्र एवं जवाब दावा के आधार पर वादी का वाद खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि तनकी सं0 1 ता 3 को साबित करने के लिए अपीलांट ने प्रदर्श सं0 1 से 3 दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में पेश किये। मौखिक साक्ष्य जगदीश स्वयं के बयान करवाये तथा गवाह राधेश्याम के बयान करवाये थे। वादी का वाद भली भांती साबित था फिर भी खारिज कर दिया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का कोई विश्लेषण नहीं किया गया। श्योदत्त का विवादित भूमि में 1/7 हिस्सा था उसके द्वारा हिस्से से अधिक भूमि का बेचान किया गया। रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने किसी भी प्रकार तनकीयात को साबित नहीं किया था फिर भी उनको साबित मान कर दावा खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री विधि विरूद्ध होने के कारण काबिल खारिज है अतः अपील स्वीकार की जाकर खारिज फरमाया जावे।

5. रेस्पोडेण्ट सं0 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि गणेशाराम के पांच पुत्र एवं दो पुत्रियां थी। दोनों पुत्रियों चन्दों व सिंगारी ने अपने भाईयों के पक्ष में दस्तबरदारी कर दी थी। उनके नाम 1/5 – 1/5 हिस्सा के हिसाब से रिकार्ड में दर्ज हो गया था। श्योदत ने अपना सम्पूर्ण 100 हिस्सा प्रतिवादी को रजिस्टर्ड बैयनामे के द्वारा बैय कर दिया था। प्रतिवादी नं0 1 उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार दर्ज है। अपीलांट किसी श्रेणी का टिनेंट नहीं है। रजिस्टर्ड बैयनामे को खारिज करने के लिए 3 वर्ष के भीतर सिविल कोर्ट में वाद लाया जा सकता है। इस अदालत को कोई ज्युडिशियल हासिल नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है अपील अपीलांट खारिज की जावे।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 प्रस्तुत किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी वाईज निर्णय करते हुए वाद साबित नहीं होने के कारण खारिज किया। प्रस्तुत दस्तावेज नकल नामांतरण से यह प्रमाणित होता है कि गणेशाराम के फौत होने पर उसके वारिसान के नाम विरासतन इंतकाल दर्ज हुआ। श्योदत ने अपने हिस्से की भूमि प्रतिवादी नं0 1 को बैय कर दी [illegible] प्रदर्श पी 2 से प्रमाणित है। प्रदर्श 3 से साबित है कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी सं0 1 [illegible] नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में ऐसा कोई प्रामाणिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह साबित हो कि गणेशाराम कि पुत्रियों ने अपना हक त्याग नहीं किया है श्योदत द्वारा 1968 में जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा प्रतिवादी सं0 1 को भूमि का बेचान कर कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:30:03 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

भूमि का संभलाया गया। वादी/अपीलांट ने 1968 के बाद अब उक्त वाद के द्वारा घोषणा चाही है जबकि चन्दों और सिन्गारी का फौत हुए 18 साल हो चुके हैं। अपने हक की घोषणा हेतु वे दावा ला सकती थी। इसलिए वादी वाद के द्वारा किसी प्रकार की घोषणा करवाने का अधिकारी नहीं है। उक्त तथ्यों के विपरीत अपीलांट ने अपील में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है जिसके आधार पर अधीनस्थ के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में हस्तक्षेप किया जा सके। अतः अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण अनुसार अपील खारिज की जाती है एवं उपखण्डाधिकारी नोहर के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.09.2011 यथावत रखे जाते है। अधीनस्थ न्यायायल को रिकार्ड निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार हो नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 7/7/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

7/7/21

(करतार सिंह पूनीयाँ) आर.ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karrar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:30:03 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व सीगे अपील

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनीयॉ आर.ए.एस

अपील सं0 2011/00177 (243/2011)

जगदीश पुत्र हरिराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ। –

अपीलान्ट

बनाम

1. मोडुराम पुत्र रूधनाथ जाति महाजन चाचाण निवासी वार्ड नंबर 25 नोहर, तहसील नोहर। –असल रेस्पो0/वादीगण
2. चन्दों बेवा भजन लाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर
3. सोहनलाल
4. भूपसिंह
5. गोपीराम
6. रामजीलाल

पिसरान भजनलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।

7. विद्या
8. कमला
9. पम्पा

पुत्रियां भजनलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।

10. संतो बेवा हरिराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
11. ओमप्रकाश पिसरान हरिराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
12. महावीर
13. सुन्दर
14. गुड्डी
15. बादो

पुत्र/पुत्रियान हरिराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।

16. बनवारी पुत्र गणेशराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
17. गोगा देवी बेवा मुखराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
18. केहरसिंह
19. कुलदीप

पि0 मुखराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।

20. कुन्ता पुत्री मुखराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Karrar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:30:03 IST
Reason: SelfAttested

21. जयलाल
22. रामकुमार
तहसील
23. पूर्ण
24. इन्द्राज
पुत्र चन्दों जोजा फुसाराम जाति जाट गोदारा निवासी फेफणा
नोहर जिला हनुमानगढ़।
25. उदमीराम
26. विद्या
27. कुन्ता
पुत्रीयान चन्दों जोजा फुसाराम जाति जाट गोदारा निवासी फेफणा
तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
28. मंगतुराम
29. भूपसिंह
30. टिकुराम
तहसील
31. सतपाल
32. मनफूल
पि0 सिन्गारी जोजा मुरली जाति जाट जाखड़ निवासी फेफाना
नोहर जिला हनुमानगढ़।
33. ओमप्रकाश
34. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर, तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

रेस्पोडैन्टस

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.09.2011 द्वारा उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर, प्रकरण संख्या 266/2007 बअनवानी जगदीश बनाम मोडूराम आदि ।

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता अपीलाण्ट की ओर से श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रस्पोडैन्ट सं0 1 की ओर से व श्री राजेश कौशिक राजकीय अधिवक्ता की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलार्थीगण खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्डाधिकारी नोहर के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.09.2011 यथावत रखा जाता है। डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 07.07.21 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Karrar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:30:03 IST
Reason: SelfAttested

7/7/21
(करतार सिंह पूनीयाँ)
आर.ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ